राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग
जी. 3 राजमहल रजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
दूरभाष सं. 0141–2222469, 2226760 फेक्स सं. 0141–2222403 ईमेल : वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.55( )सीई / डीएलबी / 2017 / सड़क निर्माण / 74344 - 356 दिनांक : 14/09/2018

स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2017–18 की कियान्वति के क्रम में राज्य के समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण / सड़क सुधार (Road Restoration) कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक प.6(ड)लेखा / डीएलबी / 2017 / सड़क निर्माण / 20677 दिनांक 08.11.2017 द्वारा जारी किये गये आदेश में नगर परिषद, श्रीगंगानगर में राशि रू. 15.00 करोड़ के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। इसके उपरान्त विभागीय आदेश क्रमांक 28229 दिनांक 11.04.2018 द्वारा नगर परिषद, श्रीगंगानगर क्षेत्र में सड़क निर्माण / सड़क सुधार से सम्बन्धित राशि रू. 5.00 करोड़ की अनुमानित लागत से अतिरिक्त कार्य (पूर्व में स्वीकृत कार्यो से भिन्न)करवाने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के बैठक कार्यवाही विवरण एफ.50(33)( )सामान्य / 2018 / 9041 दिनांक 10.09.2018 एवं पत्र क्रमांक 9107 दिनांक 10.09.2018 द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यो के विवरण के क्रम में नगर परिषद, श्रीगंगानगर क्षेत्र में राशि रू. 20.00 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण / सड़क सुधार से सम्बन्धित कार्य (पूर्व में स्वीकृत कार्यो के अतिरिक्त) करवाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माननीय मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की जाती हैं।

उक्त कार्य की कियान्विति हेतु राशि की व्यवस्था RUIRP-I के अन्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों में कियान्वित करवाये जा रहे कार्यो हेतु आमन्त्रित की गई निविदा में "Rate Quoted below Tender Price" से होने वाली बचत राशि से की जायेगी। कार्य की कियान्विति हेतु नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया जाता है एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अनुमोदित किये गये कार्यो के (संलग्न सूची) अनुसार निविदाऐं आमन्त्रित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस हेतु रूडसिको, राज. जयपुर द्वारा नगर परिषद, श्रीगंगानगर को आवश्यक राशि रू. 20.00 करोड़ का आवंटन हडको से लिये गये ऋण राशि में उपलब्ध राशि में से किया जायेगा। उक्त राशि नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को हस्तानान्तरित की जायेगी।

इसके साथ ही निर्देश दिये जाते है कि :–

01. राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जिस हेतु राशि जारी की गई है।
02. राशि के व्यय में RTPP Act 2012/Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एंव निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये।
03. योजना के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही उक्त राशि व्यय की जावे।
04. नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त करवाये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता जांच हेतु थर्ड पार्टी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.55( )सीई / डीएलबी / 2017 / सड़क निर्माण / 74344-356 दिनांक : 14/09/2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।

04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
07. कार्यकारी निदेशक, रूडसिकों, लालकोटी स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त स्वीकृति में वर्णितानुसार राशि रू. 20.00 करोड़ नगर परिषद, श्रीगंगानगर को आवंटित करवाने का श्रम करावें।
08. सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
09. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
11. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आवंटित राशि को कार्यो की क्रियान्विति हेतु नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को हस्तानान्तरित करने की सुनिश्चिता करें।
12. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता